(नियम 213)

राजस्व वाद 298 / 2021

सुरेन्द्र सिंह बनाम रणजीत वगैरह

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनिल कुमार, आर.ए.एस. राजस्व वाद संख्याः 298 / 2021

वादीगण–

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र महावीरसिंह
2. अर्जुन सिंह पुत्र महावीरसिंह

जातिराजपूत निवासीगणरातंगा तहसील जायल जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. रणजीत सिंह पुत्र नारायणसिंह
2. लाड कंवर पत्नी नारायणसिंह
3. सायर कंवर पत्नी महावीरसिंह
4. नंदूकंवर पुत्री महावीरसिंह
5. संजु कंवर पुत्री महावीरसिंह
6. रेखा कंवर पुत्री महावीरसिंह
7. संतोष कंवर पुत्री नारायणसिंह
8. भंवर कंवर पुत्री नारायणसिंह

जातियान राजपूत निवासीगण रातंगा तहसील जायल जिला नागौर

9. तहसीलदार जायल

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान का□कारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री शैलेन्द्र सिंह कालवीअधिवक्ता वादीग
2. श्री इस्लामुदीन काजीअधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 8
3. प्रतिवादी संख्या 9 राजपैरोकार उपस्थित

निर्णय

दिनांक : 13/8/2022

...

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवंतथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधि[illegible] के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण आपस में सगे भाई [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 इनके काका है, प्रतिवादी संख्या 2 इनकी दादी है एवं [illegible] की माता है तथा प्रतिवादी संख्या 3 से 6 का हित वादीगण के सा[illegible]ब्ध नहीं होने से इनको प्रतिवादी बनाया गया है।वादीगण एवं प्रतिवादी[illegible] पुश्तैनी बडेर की स[illegible] खातेदारी की भूमि वाके मौजा रातंगा के खेत खसरा नं. 399 / 12[illegible] रकबा 0.0405 हैक्टर मुमकीन कुंआ, खसरा नं. 396 रकबा 8.8626 हैक्टर तथा खसरा नं. 231 रकबा 1.9101 अन्य भूमियों के साथ आई हुई है। प्रतिवादी संख्या 7 व 8 वादीगण की भुआएं है तथा लाडकंवर की उतारधिकारी है, इसलिए उन्हे भी पक्षकार बनाया है। उक्त भूमियां वादीगण के दादा स्व.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:26:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned by Scanner Go

...णसिंह के नाम दर्ज थी जिनका स्वर्गवास हो जाने के बाद यह भूमियां वादीगण के पिता महावीरसिंह तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हो गई।

...क्त खेताय का मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा अपने-अपने हिस्से काबिज हो गये।इसके बाद पक्षकारान ने शामलाती पारिवारिक खर्चों लिए कुछ भूमियों का बेचान किया तथा खसरा नं. 231 मे से आधा हिस्सा पश्चिमी तरफ वादी संख्या 1 के पिता को जुबानी तौर पर दे दिया परन्तु उक्त भूमि आज भी प्रतिवादी ...या 1 के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 2 की उम्र 80 वर्ष हो जाने से काश्त नहीं करती ...था उन्होंने खेत खसरा नं. 396 रकबा 8.8626 हैक्टर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ...8 को नजरीनक्शानुसार दे दिया परन्तु यह भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के नाम ही दर्ज है।

...दीगण के बंट में मौजा रातंगा तहसील जायल के खेत खसरा नम्बर 231 रकबा 1.9101 ...टर मे से 0.9950 हैक्टर पश्चिमी तरफ का तथा खसरा नं. 396 रकबा 8.8626 हैक्टर में से ...313 हैक्टर भाग नजरी नक्शानुसार रखा है। प्रतिवादी संख्या 1 के बंट मे मौजा रातंगा ...सील जायल के खेत खसरा नं. 231 रकबा 1.9101 हैक्टर में से 0.9550 हैक्टर पूर्वी भाग ...तथा खसरा नं. 396 रकबा 8.8626 हैक्टर में से 4.4313 हैक्टर भाग नजरी नक्शानुसार ...ा है। प्रतिवादी संख्या 2 के बंट में मौजा रातंगा तहसील जायल के खसरा नं. 399/1229 ...बा 0.0405 हैक्टर गैर मुमकिन कुंआ रखा है। प्रतिवादी संख्या 4 से 8 के बंट में कोई ...मियां नहीं रखी है क्योंकि वे काश्त नहीं करती है।वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच आपसी ...रिवारिक बंटवाडा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग-अलग सींव-नींव कायम हो जाने ...बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्वराजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने, व वादी विरूद्ध ...तिवादीगण वादग्रस्त भूमि मौजा रातंगा तहसील जायल का खेत खसरा नम्बर 399/1229 ...बा 0.0405 हैक्टर गैर मुमकीन कुंआ, खसरा नं. 396 रकबा 8.8626 हैक्टर व खसरा नं. ...1 रकबा 1.9101 हैक्टरवादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी होते हुए भी राजकीय ...र्ड में अमल दरामद नहीं होने से तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के ...रण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर ...की किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर ...री करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया ...या। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय ...होकरईकबाली जवाब पेश किया। ईकबाली जवाब बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। ...स्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 9का सम्मन स्वयं से तामील होकर प्राप्त हुआ है, जो वाद ...पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8द्वारा प्रकरण के संबंध में ईकबाली जवाब पेश होनेतथा प्रतिवादी संख्या 9 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र वादी संख्या 2अर्जुनसिंह पुत्र महावीरसिंहका पेश हुआ साथ नकल जमाबन्दी ग्राम रातंगातहसील जायल सम्वत् 2073-2076 खाता संख्या 703 प्रदर्श-1, नकल जमाबन्दी ग्राम रातंगा तहसील जायल सम्वत् 2073-76 खाता संख्या 457 प्रदर्श-2, नकल जमाबन्दी ग्राम रातंगा तहसील जायल सम्वत् 2073-76 खाता संख्या 544 प्रदर्श-3पेशकिया।अधिवक्ता वादी द्वारा अन्य साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 8द्वारा पत्रावली में जरिये ईकाबाली जवाबवाद पत्र को स्वीकार किया गया है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:26:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned by Scanner Go

पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन है कि वादपत्र को माफीक ईकबाली जवाब में वर्णित पैराज माफिक नजरी नक्शानुसार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण मेंप्रतिवादीगण सं. 1 से 8ने बडैर भूमि का जरिये ईकबाली जवाबआपसी सहमति बंटवारा होने की बात को स्वीकारा है तथा ईकबाली जवाब वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है तथा खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार नजरी नक्शा किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय काप्रस्तुत ईकाबली जवाबके अनुसार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

वली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से8के द्वारा प्रस्तुत ईकबाली जवाब पर मनन किया । प्रतिवादी संख्या 9 राजपैरोकोर को केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के पत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने क्षित होते है। **प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक** **सा अंकित है** जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार ग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में तुत ईकबाली जवाब में वादीगण तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8ने आपसी सहमति के सार बंटवाडा तथा माफिक नजरी नक्शानुसार काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। हमारी राय में वादीगण को तिवादीगण सं. 1 व 2 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 से 8 बंट नहीं रखा जाने से नाम हटाकर मौजा रातंगा के वादग्रस्त खेतायों में अपने–अपने स्से का नियमानुसार बंटवाड़ा करवा सकते है।अतः वाद पत्र में वर्णित खसरे पक्षकारान् के व हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार कर मिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार जायल से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया गया।

तहसीलदार जायल ने पत्रांक 5021 दिनांक 05.08.2021 के द्वारा पक्षकारो की उपस्थिति में बंटवारा प्रस्ताव तैयार प्रस्तुत किया। बंटवारा प्रस्ताव पर अधिवक्ता फरिकेन सुना गया। उभय पक्षकार के अधिवक्ता में बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अंन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किये जाने पर वाद वादी का अन्तिम डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है।

— : : आदेश : : —

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादी सुरेन्द्र सिह व अर्जुन सिंह के हक बंट कब्जा काश्त व सहखातेदारी मे मौजा रातंगा के खेत ख.न. 231 रकबा 1.9101 हैक्टेयर मे से 0.9551 हैक्टेयर [illegible] ख.न. 396 रकबा 8.8626 हैक्टेयर मे से रकबा 2.21565 उत्तरी पूर्वी तथा रकबा [illegible]1656 हैक्टेयर दक्षिणी पश्चिमी भाग नजरी नक्सानुसार घोषित किया [illegible] सिंह के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में मोजा रातंगा [illegible] रकबा 1.9101 हैक्टेयर मे से 0.9550 हैक्टेयर पूर्वी भाग तथा ख.न. 396 रकबा 8.8626 हैक्टेयर में से 2.21565 हैक्टेयर दक्षिणी पूर्वी भाग तथा रकबा 2.21565 हैक्टेयर उतर पश्चिमी भाग नजरी नक्सानुसार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं. 2 लाड कंवर के हक बंट कब्जा काश्त व खातेदारी मे मौजा रातंगा के खेत ख.न. 399/1229 रकबा 0.0405 हैक्टयर घोषित किया जाता है। तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:26:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned by Scanner Go

राजस्व वाद 298/2021
सुरेन्द्र सिंह बनाम रणजीत वगैरह

...से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव निर्णय डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा ...कर तहसीलदार जायल को मुताबिक डिक्री आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद ...रिर जारी हों।

(सुनिल कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 13/8/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से ...कर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनिल कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2022.11.02 10:26:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by Scanner Go